न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 22/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— **2024/46**
दायर दिनांक :— 02.02.2024 **निर्णय दिनांक :— 07.01.2025**

1. करीम खातू पत्नी उमरदीन जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री सिकन्दर खान मंगलिया अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 307/10 रकबा 1.5702 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 307/11 रकबा 3.2375 हैक्टेयर सरहद मौजा हाजीनगर पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। लेकिन पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एव प्रार्थीया को सूचित किये बगैर ही सेग्रीगेशन योजना के तहत प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 307/10 रकबा 1.5702 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 307/11 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की नक्शा लट्ठा में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थीया के कब्जा एवं काश्त के विपरित करवा दी है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है इसलिये उपरोक्त वर्णित खसरान् के नक्शा लट्ठा में प्रार्थीया के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवाने एव प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने की हकदार है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम हाजीनगर पटवार क्षेत्र जोड़ के खसरा नम्बर 307/10 रकबा 1.5702 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 307/11 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदार के कब्जा व काश्त से भिन्न है परन्तु नक्शा लट्ठा में तरमीम के अनुसार ही डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत तरमीम की गई जो पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट से प्रमाणित है। खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम हाजीनगर पटवार क्षेत्र जोड़ के खसरा नम्बर 307/10 रकबा 1.5702 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 307/11 रकबा 3.2375 हैक्टेयर की वर्तमान तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की वर्तमान तरमीम नक्शा लट्ठा में दर्ज तरमीम अनुसार ही सेग्रीगेशन योजना के तहत ऑनलाईन तरमीम भू–नक्शा में की गई है। चूंकि विवादग्रस्त खसरान की भूमि तरमीम को किस प्रकार दुरूस्त किया जाना है इस संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जिला फलोदी (राज.)

07/01/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)